31.10.2018	यह रैफरेंस पत्रावली मण्डल के निर्णय दिनांक 2.4.2018 की प्रति के साथ प्राप्त हुई है। अवलोकन किया गया । निर्णयानुसार अनुशंषित रैफरेंस में मिलान क्षेत्रफल, आवंटन आदेश आदि की प्रमाणित प्रति, दिनांक 15.8.1947 को प्रश्नगत भूमि की राजस्व रिकार्ड की क्या स्थिति रही है ? आदि की पुष्टि के लिये पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव के कारण रैफरेस अपूर्ण होने से वापिस लौटाया जाकर निर्देशित किया गया है कि रैफरेंस की पुष्टि के लिये पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य के साथ पुनः रैफरेंस अभिशंषित करावें। अतः माननीय मण्डल के निर्णय की मंशा के अनुरूप भूमिधारी तहसीलदार वैर को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 2.4.2018 की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि मण्डल के निर्णय की अक्षरशः पालना करते हुये यदि बाद जांच/बाद वांछित रिकार्ड पूर्ति यह प्रकरण रैफरेंस योग्य पाया जाता है तो पुनः नये सिरे से 3 माह के भीतर पेश करने की स्वतन्त्रता के साथ यह पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर